न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 334/2024

अनवान : –

1. दाताराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. बेगराज पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि तथा खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जो कि आपस में सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि में से प0 नं0 342/447 (45) के किला नं. 4/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की की 0.2270 है0, 5/2 की 0.1140 है0, 5/4 की 0.0120 है0 गै0 मु0 खाला में वादी काबिज है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 भूमि एवं तथा खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि के प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 23/1 की 0.1135 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई [illegible] वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] दिन तक आजकल [illegible] करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जो कि आपस में सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि में से प0 नं0 342/447 (45) के किला नं. 4/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की की 0.2270 है0, 5/2 की 0.1140 है0, 5/4 की 0.0120 है0 गै0 मु0 खाला में वादी काबिज है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 भूमि एवं तथा खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि के प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 23/1 की 0.1135 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि तथा खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि आपस में सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि में से प0 नं0 342/447 (45) के किला नं. 4/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की की 0.2270 है0, 5/2 की 0.1140 है0, 5/4 की 0.0120 है0 गै0 मु0 खाला में वादी काबिज है तथा रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 भूमि एवं तथा खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि के प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 23/1 की 0.1135 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि में से प0 नं0 342/447 (45) के किला नं. 4/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की की 0.2270 है0, 5/2 की 0.1140 है0, 5/4 की 0.0120 है0 गै0 मु0 खाला की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 भूमि एवं 23 डीपीएन के खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि के प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 23/1 की 0.1135 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 334/2024

अनवान : –

1. दाताराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. बेगराज पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 334 सन 2024 निर्णय दिनांक – 16/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 0.5185 है0 भूमि में से प0 नं0 342/447 (45) के किला नं. 4/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की की 0.2270 है0, 5/2 की 0.1140 है0, 5/4 की 0.0120 है0 गै0 मु0 खाला की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 39/37 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 16 की 0.2530 है0 भूमि एवं 23 डीपीएन के खाता संख्या 38/35 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 0.4935 है0 भूमि के प0 नं0 342/446 (26) के किला नं. 23/1 की 0.1135 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:34 IST
Reason: SelfAttested